

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

{समक्ष :डी.एस.मण्डलोई}

फौज.प्र.क्र. : 790 / 2014

संस्थित दि: 02 / 09 / 14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

**विरुद्ध**

मनीष पिता कारूसिंह मेरावी, उम्र 20 साल, जाति गोंड,  
साकिन नाकाटोला भूतना थाना बिरसा जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... आरोपी

**—:: निर्णय ::—**

**(आज दिनांक 02/09/2014 को घोषित किया गया)**

(01) आरोपी पर आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) का आरोप है कि आरोपी दिनांक 15/08/2014 को समय 01:25 बजे स्थान बलाक मोहल्ला जयसवाल, भोजनालय के पीछे थाना बिरसा के अन्तर्गत अपने आधिपत्य में 10 पाव आर.एस. विस्की 180 एम.एल. कीमत करीब 1300/— रुपये, 20 पाव नं0 1 विस्की 180 एम.एल. कीमत करीब 2600/— रुपये, 14 पाव आई.बी. विस्की 180 एम.एल. कीमत करीब 1820/— रुपये, 30 पाव गोवा 180 एम.एल. विस्की कीमत करीब 2400/—रुपये, 06 बाटल बिरय कीमत करीब 780/—रुपये, 06 बाटल बियर वास्को कीमत करीब 720 रुपये की शराब अवैध रूप से बिना आज्ञाप्ति अथवा अनुज्ञा-पत्र के रखे हुए पाया गया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना बिरसा के सहायक उपनिरीक्षक राजधर धुबे दिनांक 15.08.2014 को मय स्टाप के पन्द्रह अगस्त ड्यूटी हेतु टाउन गया था। छात्र-छात्राओं की रैली में रोड व्यवस्था की ड्यूटी कर रहा था। ड्यूटी के दौरान उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त कि जयसवाल भोजनालय के पीछे की तरफ एक व्यक्ति अवैध रूप से अपने कब्जे में एक खाखी रंग के कार्टून में विदेशी शराब रखे हुए है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर हमराह स्टाप 650, 524, 1205 एवं गवाह लोयन पिता कुंवरसिंह, पुरुषोत्तम पिता रघुनाथ परते ग्राम बिरसा को सूचना से अवगत कराकर हमराह स्टाप को साथ लेकर जयसवाल होटल के पीछे पहुंचकर देखा तो एक व्यक्ति कार्टून लिये बैठा था, जिसे घेराबंदी कर पकड़ कर जांच करने पर आरोपी के पास अवैध रूप से शराब पाई गई। आरोपी से शराब रखने के लायसेंस के संबंध में पूछने पर आरोपी ने लायसेंस न होना व्यक्त किया। बिना लायसेंस के शराब पाया जाना मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी से शराब को समक्ष गवाहों के जप्त कर, आरोपी को गिरफ्तार कर, आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र. 102/14 अन्तर्गत धारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 34 (क) के तहत यह अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

(03) आरोपी को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढकर सुनाई व समझाई गई।

(04) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपी दिनांक 15/08/2014 को समय 01:25 बजे स्थान बलाक मोहल्ला जयसवाल, भोजनालय के पीछे थाना बिरसा के अन्तर्गत अपने आधिपत्य में 10 पाव आर.एस. विस्की 180 एम.एल. कीमत करीब 1300/- रुपये, 20 पाव नं० 1 विस्की 180 एम.एल कीमत करीब 2600/- रुपये, 14 पाव आई.बी. विस्की 180 एम.एल. कीमत करीब 1820/- रुपये, 30 पाव गोवा 180 एम.एल विस्की कीमत करीब 2400/-रुपये, 06 बाटल बिरय कीमत करीब 780/-रुपये, 06 बाटल बियर वास्को कीमत करीब 720 रुपये की शराब अवैध रूप से बिना आज्ञाप्ति अथवा अनुज्ञा-पत्र के रखे हुए पाया गया?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

(05) आरोपी को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया ।

(06) आरोपी द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है ।

(07) अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः आरोपी का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपी के द्वारा अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

(08) आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 5000/- रुपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है।

(09) अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम में आरोपी को एक माह

के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे ।

(10) प्रकरण में जप्तशुदा आर.एस.विस्की 10 पाव 180 एम.एल, 20 पाव नं0 1 विस्की 180 एम.एल, 14 पाव आई.बी. विस्की 180 एम.एल, 30 पाव गोवा 180 एम.एल, 06 बाटल बियर, 06 बाटल बियर वास्को शराब मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित  
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)